

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवामें,

- 1-समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त निदेशक एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त प्रमुख /मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,
जिला महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
- 4-समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 11फ/2019/केए/1186

लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी 2019


विषय: चिकित्सालय में भर्ती मरीजों एवं उनके एक तीमारदार को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय उच्चतम न्यायालय Petition (S) for special leave to appeal (C) No. (S)-9299/2018 में पारित आदेश दिनांक 14-05-2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1.A.No.04 of 2018 in case:- PUBLIC INTREST LITIGATION (PIL)No.-14588 of 2009 में पारित आदेश दिनांक 29-01-2019 के पैरा 05 के अनुपालन में आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ राजकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती मरीजों तथा उनके 01 तीमारदार को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।


उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(पदमाकर सिंह)
महानिदेशक

संख्या: 11फ/2019/केए/1187 तददिनांक,

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में राजकीय चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती मरीजों तथा उनके तीमारदार को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश पत्र जारी कर दिया गया है ताकि माननीय न्यायालय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। कृपया कार्यान्तर शासकीय अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।


(पदमाकर सिंह)
महानिदेशक

45/2/19

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
मेरठ/झांसी/प्रयागराज/गोरखपुर/आगरा/कानपुर/कन्नौज/अम्बेडकर नगर/
आजमगढ़/बांदा/बदायूं/सहारनपुर/जालौन।

संख्या:एम0ई0-4/2019/

लखनऊ: दिनांक 12 फरवरी, 2019

विषय चिकित्सालय में भर्ती मरीजों एवं उनके एक तीमारदार को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय Petition (S) for special leave to appeal (C) No. (S).- 9299/2018 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा I.A. No. 04 of 2018 in case:-PUBLIC INTREST LITIGATION (PIL) No.- 14588 of 2009 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2019 के पैरा 05 के अनुपालन में आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आपके राजकीय मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों तथा उनके 01 तीमारदार को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(के0 के0 गुप्ता)
महानिदेशक।

संख्या:एम0ई0-4/2019/127

तददिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-लेन को सूचनाार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। चार/क

(के0 के0 गुप्ता)
महानिदेशक।

12/2/19